:: कार्यालय कलेक्टर, जिला–खण्डवा ::

::आदेश::

राजस्व प्रकरण कमांक 41 –अ–59 / 2021–22
ग्राम सुरगांव निपानी, तहसील–खण्डवा

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि कि वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा ने पत्र कमांक पत्र क.माचि / श्री आचार्य शंकर / 2022 / 372 दिनांक 24.01.2022 प्रेषित कर लेख किया है कि श्री आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की स्थापना एवं अन्य कार्यो के लिये ग्राम सक्तापुर तहसील पुनासा स्थित खसरा नंबर 44 रकबा 77.98 हैक्टेयर भूमि में से पैकी रकबा 18.00 हेक्टेयर भूमि आदेश दिनांक 14.01.2022 से वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की गई है। उप वनमण्डलाधिकारी, पुनासा एवं राजस्व विभाग व्दारा दिनांक 20.01.2022 को निरीक्षण में पाया कि आवंटित भूमि संरक्षित वन कक्ष कमांक 181 के अंतर्गत है। शेष 8.00 हेक्टेयर भूमि राजस्व के अंतर्गत है, जो पथरीली होने से वृक्षारोपण के योग्य नही है। पूर्व में ग्राम सुरगांव निपानी एंव मोघट में श्री आचार्य शंकर, भामसिंचाई परियोजना, आवलिया सिंचाई परियोजना आदि हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई है। इन्ही खसरो के आसपास या इनसे लगी हुई या इन खसरों में शेष जमीन वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जा सकती है। श्री आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की स्थापना एवं अन्य कार्यो के लिये 18.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई जावे।

2– तहसीलदार, खण्डवा व्दारा की गई जांच के आधार पर अनु–विभागीय अधिकारी, खण्डवा ने ग्राम सुरगांव निपानी तहसील खण्डवा की भूमि खसरा नंबर 32 / 1 रकबा 8.7800 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 36 / 1 रकबा 9.5600 हेक्टेयर मद घांस, कुल रकबा 18.3400 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा को हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की है।

3– अतः तहसीलदार, खण्डवा व्दारा की गई जांच एवं अनु–विभागीय अधिकारी, खण्डवा व्दारा की गई अनुशंसा के आधार पर ग्राम सक्तापुर तहसील पुनासा स्थित खसरा नंबर 44 रकबा 77.98 हैक्टेयर भूमि में से पैकी रकबा 18.00 हेक्टेयर **हस्तांतरित भूमि के स्थान पर** ग्राम सुरगांव निपानी तहसील खण्डवा की भूमि खसरा नंबर 32 / 1 रकबा 8.7800 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 36 / 1 रकबा 9.5600 हेक्टेयर मद घांस, कुल रकबा 18.3400 हेक्टेयर भूमि, राजस्व पुस्तक परिपत्र 4–1 की कंडिका 36 के तहत वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जाती है।

1096
09/2/22

(अनूप कुमार सिंह)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा

पृ0कमांक / 2017 / वाचक कले. / 2022 खण्डवा, दिनांक 4 .02.2022

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा,
4– उप वनमण्डलाधिकारी, पुनासा (सामान्य),
5– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुनासा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा की ओर मय मूल प्रकरण के संलग्न कर लेख है कि वे शासकीय अभिलेख में आवश्यक दुरूस्ती कराकर संशोधित खसरा नक्शा प्रकरण में संलग्न करते हुए प्रकरण अभिलेखागार में जमा किए जाने हेतु वापिस करें।
7– डॉ. शैलेन्द्र मिश्र, न्यास प्रभारी, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान, संस्कृति विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8– तहसीलदार, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

कलेक्टर
जिला खण्डवा.

कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा